

दिनांक 23.11.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज सिंह नेगी सहित उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेश बलूनी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 59ब प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। गवाह पी0डब्लू0-2 व पी0डब्लू0-3 के बयान अन्तर्गत धारा 246 सी0आर0पी0सी0 के बयान अंकित किये गये।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 246 सी0आर0पी0सी0 दिनांक 30.11.2023 को पेश हो।

(मौ0 याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।